

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 311]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 29, 2016/वैशाख 9, 1938

No. 311]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 29, 2016/VAISAKHA 9, 1938

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2016

**सा.का.नि. 470(अ).—** अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, तेलंगाना सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) संशोधन नियमावली, 2016 होगा।
- (2) ये नियम शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में :- अनुसूची II,-

भाग क" में, राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा में वरिष्ठ वेतनमान के ऊपर के वेतन वाले पदों" की तालिका में, प्रथम कॉलम में आने वाली "तेलंगाना" प्रविष्टि और दूसरे कॉलम में आने वाली तदनुसूची प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

"तेलंगाना

सरकार के मुख्य सचिव	80,000/- (नियत)
सरकार के विशेष मुख्य सचिव, वित्त	80,000/- (नियत)
भूमि प्रशासन मुख्य आयुक्त एवं ईओ विशेष मुख्य सचिव	80,000/- (नियत)
	---
सरकार के प्रधान एचडीडीएफ सचिव	एचएजी स्केल - रु. 67000/- (वार्षिक वृद्धि 3% की दर पर) 79000/-
सरकार के प्रधान डीसी कल्याण सचिव	एचएजी स्केल - रु. 67000/- (वार्षिक वृद्धि 3% की दर पर) 79000/-

सरकार के प्रधान शिक्षा सचिव	एचएजी स्केल - रु. 67000/- (वार्षिक वृद्धि 3% की दर पर) 79000/-
डीजी, डा. एमसीआर एचआरडी संस्थान एवं ईओ मुख्य सचिव	एचएजी स्केल - रु. 67000/- (वार्षिक वृद्धि 3% की दर पर) 79000/-
मुख्य मंत्री के अपर/निजी सचिव	एचएजी स्केल - रु. 67000/- (वार्षिक वृद्धि 3% की दर पर) 79000/-
राज्यपाल के प्रधान सचिव	एचएजी स्केल - रु. 67000/- (वार्षिक वृद्धि 3% की दर पर) 79000/-
मुख्य निर्वाचन अधिकारी, एवं सरकार के ईओ, जी.ए.(निर्वाचन) प्रधान सचिव	एचएजी स्केल - रु. 67000/- (वार्षिक वृद्धि 3% की दर पर) 79000/-
सरकार के (चुनाव), जीएडी प्रधान सचिव	एचएजी स्केल - रु. 67000/- (वार्षिक वृद्धि 3% की दर पर) 79000/-
सरकार के एचएम एवं एफडब्ल्यू प्रधान सचिव	एचएजी स्केल - रु. 67000/- (वार्षिक वृद्धि 3% की दर पर) 79000/-
सरकार के आई एवं सीएडी प्रधान सचिव	एचएजी स्केल - रु. 67000/- (वार्षिक वृद्धि 3% की दर पर) 79000/-
सरकार के एमए एवं यूडी प्रधान सचिव	एचएजी स्केल - रु. 67000/- (वार्षिक वृद्धि 3% की दर पर) 79000/-
सरकार के योजना एवं ईओ, डीजी, टीएसआरएसी प्रधान सचिव	एचएजी स्केल - रु. 67000/- (वार्षिक वृद्धि 3% की दर पर) 79000/-
सरकार के पीआर एवं आरडी, आरडब्ल्यूएस, आरएसएडी प्रधान सचिव	एचएजी स्केल - रु. 67000/- (वार्षिक वृद्धि 3% की दर पर) 79000/-
सरकार के राजस्व और आर एवं एस प्रधान सचिव	एचएजी स्केल - रु. 67000/- (वार्षिक वृद्धि 3% की दर पर) 79000/-
सरकार के उत्पाद, सीटी एवं अक्षय निधि प्रधान सचिव	एचएजी स्केल - रु. 67000/- (वार्षिक वृद्धि 3% की दर पर) 79000/-
सरकार के टीआर एवं बी प्रधान सचिव	एचएजी स्केल - रु. 67000/- (वार्षिक वृद्धि 3% की दर पर) 79000/-

सरकार के ए एवं सी और एपीसी सचिव	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु.
सरकार के ईएफएम एवं टी सचिव	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु.
सरकार के उर्जा सचिव	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु.
सरकार के वित्त (आई एफ) सचिव	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु.
सरकार के वित्त एवं ईओ, डीजी, सीजीजी सचिव	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु.

सरकार के (सेवा एवं एचआरएम), जीएडी सचिव	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु.
सरकार के गृह सचिव	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु.
सरकार के आवास सचिव	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु.
सरकार के (पीई और आई एवं आई), आई एवं सी सचिव	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु.
सरकार के (आई एवं सी, खनन, एफपी, एच एवं टी, एमएसएमसी, शुगर एवं बीटी सचिव	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु.
सरकार के आईटीई एवं सी सचिव	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु.
सरकार के एलईटी एवं एफ सचिव	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु.
सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण सचिव	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु.
सरकार के एससी विकास एवं आदिवासी कल्याण सचिव	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु.
सरकार के डब्ल्यूडी, सी एवं डीडब्ल्यू सचिव	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु.
सरकार के वाईएटी एवं सी सचिव	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु.
नागरिक आपूर्ति एवं ईओ, सचिव, सीएफ एवं सीएस आयुक्त	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु.
आई एवं पीआर एवं ईओ, सचिव, जीएडी आयुक्त	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु.
महयोग एवं सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार आयुक्त	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु.
कृषि, बागवानी एवं रेशम उत्पादन आयुक्त	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु.
मत्स्य पालन आयुक्त	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु.
बीसी कल्याण, ईओ एमएस, टीएससीबीसी एवं एमडी, डीएसबीसीडब्ल्यूसी आयुक्त	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु.
विज्ञान संबंधी एवं तकनीकी शिक्षा आयुक्त	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु.
माध्यमिक शिक्षा आयुक्त और सचिव, माध्यमिक शिक्षा का बोर्ड, आयुक्त	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु.
आवास आयुक्त, तेलंगाना भवन, नई दिल्ली	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु.
पीएच एवं एफडब्ल्यू, ईओ एमडी, एनएचआरएम, पीडी, एआईडीएससीएस और सीईओ, आरोग्यश्री आयुक्त	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु.
उद्योग एवं शुगर आयुक्त	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु.
श्रम, आयुक्त	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु.
ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम, आयुक्त	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु.
एमए एवं ईओ एमडी एईईपीएमए एवं एमडी टीयूएफआईसी, आयुक्त एवं निदेशक	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु.
निवारक एवं उत्पाद शुल्क, आयुक्त	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु.
वाणिज्यिक कर, आयुक्त	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु.
पंजीकरण एवं स्टैप, आयुक्त एवं महानिरीक्षक	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु.
यातायात, आयुक्त	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु.
अपर सीसीएलए (अपील, सतर्कता एवं केआरसीसी, सीसीएलए कार्यालय	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु.
टीडब्ल्यू एवं ईओ एमडी, टीआरआईसीओआर, एमडी, जीसीसी एवं एसईसीवाई, टीडब्ल्यूआरआईआई, आयुक्त	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु.

(ख) "अनुसूची II-भाग ख" में - वेतन के अतिरिक्त विशेष भत्ते वाले पदों सहित राज्य सरकार के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में, 'तेलंगाना' शीर्षक के तहत आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

ममाहर्ता
संयुक्त ममाहर्ता
पीओ, आईटीडीए/पीडी, डीआरडीए/सीईओ, जेडपी
मुख्य राशन अधिकारी, हैदराबाद
निदेशक, मार्केटिंग एवं ई.ओ.एमडी., एसडब्ल्यूसी, एमडी, मार्कफेड, सीईओ, रायथुबाजार
निदेशक, स्कूली शिक्षा एवं ईओ, एमडी, एसपीडी, एसएसए
निदेशक, प्रोटोकाल
निदेशक/ओएसडी/आवासीय आयुक्त का कार्यालय, डीएस, नई दिल्ली
निदेशक, आवास एवं ई.ओ., एमडी, डब्ल्यूएसएचपी, ईओ. सीईओ, डीआईएलएल, वीसी एवं एमडी, एचबी एवं एमडी, आरएसजी
निदेशक, हैण्डलूम एवं टेक्सटाइल एवं ई.ओ., एमडी, एपीसीओ

निदेशक, आर एवं आर और एलए.
निदेशक, रोजगार एवं प्रशिक्षण
निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण एवं ई.ओ., निदेशक, टीएसएमएफसी
निदेशक, पीआर एवं आरडी, एवं ई.ओ., एमडी, आरईईएमएपी एवं सीईओ, ईजीएमएम
निदेशक, एसएस एवं एलआर और पीडी, भूभारथी
निदेशक, विन्यास
निदेशक/विशेष आयुक्त, राजस्व (एमडी)
निदेशक, एससी विकास एवं ई.ओ., एमडी, एससीएफसी एवं सचिव, टीएसएमडब्ल्यूआरईआईएस
निदेशक, डब्ल्यूडी, सीडब्ल्यू, जेडब्ल्यू एवं सीएस एवं ई.ओ., एमडी, डब्ल्यूएफसी
निदेशक, पीडब्ल्यू, व. नागरिक एवं ई.ओ., एमडी, टीएसवीसीसी
निदेशक, युवा सेवा एवं ई.ओ., एमडी, एसएटी
निदेशक, पर्यटन
सरकार अपर/संयुक्त/उप सचिव
अपर आयुक्त, जीएचएमसी
विशेष ममाहर्ता, आई एवं सीएडी
सचिव, तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग
मतर्कता आयोग के सचिव
अपर/संयुक्त/उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं ईओ. अपर/संयुक्त/सरकार के उप, जीए (चुनाव) विभाग

मीईओ, डीएमएआरडी एवं एसईआरपी
मुख्य आयुक्त के सचिव, भूमि प्रशासन
मंयुक्त/उप आयुक्त, (वाणिज्यिक कर)"

[सं. 11031/11/2015-अ.भा.से-11(ख)]

कविता पद्मनाभन, उप सचिव

**टिप्पणी :** मुख्य विनियम तारीख 20.03.2007 की एस आर ओ सं. 213(अ) द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। तत्पश्चात्, ये तेलंगाना संवर्ग के संबंध में निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं तथा तिथियों द्वारा संशोधित किए गए :

क्र.सं.	सा.का.नि. सं.	प्रकाशन की तारीख	क्र.सं.	सा.का.नि. सं.	प्रकाशन की तारीख
1	665 अ	19.09.08	21	922 अ	30.12.11
2	123 अ	15.04.09	22	94 अ	16.02.12
3	542 अ	21.07.09	23	115 अ	28.03.12
4	572 अ	13.08.09	24	325 अ	26.04.12
5	820 अ	12.11.09	25	941 अ	28.12.12
6	72 अ	10.02.10	26	55 अ	31.01.13
7	102 अ	25.02.10	27	104 अ	18.02.13
8	191 अ	12.03.10	28	602 अ	06.09.13
9	298 अ	08.04.10	29	604 अ	06.09.13
10	397 अ	11.05.10	30	45 अ	22.01.14
11	404अ	13.05.10	31	47 अ	22.01.14
12	413 अ	17.05.10	32	302 अ	29.04.14
13	432 अ	20.05.10	33	384 अ	18.07.14
14	434 अ	20.05.10	34	720 अ	13.10.14
15	451 अ	26.05.10	35	939 अ	31.12.14
16	689 अ	19.08.10	36	102 अ	16.02.15
17	836 अ	13.10.10	37	659अ	25.08.15
18	899 अ	09.11.10	38.	1013अ	29.12.15
19	954 अ	06.12.10	39.	1022अ	30.12.15
20	920 अ	30.12.11	40.	1024अ	30.12.15